कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

Mail

पत्रांकः 2875 /03व्यक–सा0/2019 दिनांक 01 /11/2019

–:कार्यालय ज्ञापः–

लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश संख्या–1385/ III(I)/ 19–190(PWD)/01 दिनांक–25.09.2019, शासनादेश संख्या–1406/III(I)/ 19–190(PWD)/01 दिनांक–01.10.2019 एवं शासनादेश संख्या–1532/III(I)/19–190(PWD)/01टी0सी0–11 दिनांक–01.11.2019 के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संवर्गीय ढॉचें में स्वीकृत संवर्गीय पदों के अन्तर्गत पदों/कार्यालयों के पद स्थापना के आदेश जारी किये गये हैं, जिनके अनुसार सिविल वृत्त, बागेश्वर को प्रथम वृत्त अल्मोड़ा के अन्तर्गत, सिविल वृत्त, चम्पावत को तृतीय वृत्त, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत, सिविल वृत्त, रूद्रप्रयाग को सप्तम वृत्त, गोपेश्वर के अन्तर्गत, क्षेत्रीय कार्यालय, पिथौरागढ़ को क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा के अन्तर्गत, क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी को क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी के अन्तर्गत तथा मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 हल्द्वानी को मुख्य अभियन्ता, रा0मा0, उत्तराखण्ड़ देहरादून के कार्यालय के अन्तर्गत समायोजित किया गया है। उपरोक्तानुसार समाप्त किये गये कार्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिक अपने नये (समायोजित) कार्यालयों में तत्काल योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यालयों में कार्यरत बाहय स्रोत/उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को सेवा से मुक्त करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही समायोजित कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

ह0
(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
03. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड।
04. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
05. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
06. समस्त वरिष्ठ स्टॉफ अफिसर, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
07. वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
08. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
09. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग,
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
12. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त ज्ञाप की प्रति को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।
13. कनिष्ठ अभियन्ता, (प्राविधिक), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
15. समस्त वैयक्तिक सहायक विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
16. गार्ड पत्रावली हेतु।

1/11/19
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
01/11/19